बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

संचिका संख्या–10/मु०–13/2025..... दिनांक–.....

याचिका संख्या–2028/2025 Md. Shahajaha @ Md Shahjahan बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–01.11.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में यह आदेश संसूचित किया जा रहा है।

2. याचिका संख्या–2028/2025 में दिनांक 01.11.2025 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है–

"5. Having considered the nature of the grievance and the contention of the petitioner that his case is squarely covered with C.W.J.C. No.985 of 2015 [Imran Alam & Anr. v. The State of Bihar & Ors.], which came to be disposed off on 27.03.2019, this Court deems it fit and proper to dispose off the present writ petition with a liberty to the petitioner to file a detailed representation before respondent no.3, the Special Director, Secondary Education, Education Department, Government of Bihar, Patna, preferably within a period of four weeks from today."

3. माननीय न्यायालय द्वारा उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में वादी द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया। जिसके आलोक में विभिन्न तिथि को सुनवाई की गई। वादी द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखा गया। वादी द्वारा पक्ष रखा गया है कि इनकी नियुक्ति 1128 कोटि के मदरसा सुबहानियाँ बोघन्डा बड़ियाडांगी, पो0 फतेहपुर वाया बारसोई घाट, जिला–कटिहार में शिक्षक के पद पर दिनांक 15.02.2011 के बाद एवं दिनांक 31.08.2013 के पूर्व हुई है तथा इनके नियुक्ति का अनुमोदन बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के ज्ञापांक 2866–69 दिनांक 02.08.2011 द्वारा प्रदान की गई है। इनका मदरसा दिनांक 15.02.2011 के पूर्व से अनुदानित है। इनके द्वारा याचिका संख्या–985/2015 में पारित न्यायादेश के आलोक में मदरसा में दिनांक 15.02.2011 के पूर्व नियुक्त कर्मियों की भांति वेतन अनुदान/अंतर वेतन भुगतान करने हेतु दावा किया गया है।

4. उपरोक्त पारित न्यायादेश में याचिका संख्या–985/2015 का संदर्भ दिया गया है। याचिका संख्या–985/2015 इमरान आलम एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2019 को न्यायादेश पारित किया गया है। उक्त न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है–

"The petitioners are Teachers of such Madarsas and Schools that stood recognized and aided prior to 15.02.2011. The impugned Resolution dated 31.8.2013 quoted hereinabove in Clause 6 converts the pay-scales of those Teachers who were appointed in such schools after 15.02.2011 with retrospective effect. This was therefore impermissible as the matter under consideration on 15.2.2011 was of giving a fixed pay-scale to those Madarsas who had not been recognized up to 15.02.2011, and were found eligible after inquiry in terms of the said order of the Government. The 15.02.2011 Resolution therefore did not contemplate reduction of salary of those who were getting a regular pay-scale in recognized and aided

Madarsas against posts sanctioned prior to 15.02.2011 which formed a different class. The petitioners were deprived of the regular pay-scale for bringing about an equality in respect of institutions which were not subject matter of the Resolution dated 15.02.2011. The 15.02.2011 resolution does not stipulate any restriction of regular pay-scales. The State Government may have been under some compulsion to reflect equality in its actions as they agreed to give a fixed pay-scale to the Madarsas that were recognized after 15.02.2011 as those Teachers may have demanded a regular pay-scale, but the same could not have been made a ground for deprivation of the pay-scale admissible to sanctioned posts in respect of the Madarsas and Schools that stood recognized and aided prior to 15.02.2011. The said benefits could not have been withdrawn retrospectively as the petitioners even though appointed after 15.02.2011 but before 31.08.2013 were occupying posts that were recognized and aided even prior to 15.02.2011 with regular pay-scale. The posts had not been abolished nor their pay-scales had been reduced when the petitioners were appointed which was admittedly prior to 31.08.2013. The shifting and adjustment of financial burden adopted by this discriminatory process therefore is an irrational exercise and is both arbitrary and discriminatory. If the State Government chose to give a lesser pay-scale to Madarsas which were unrecognized and unaided but were recognized after 15.02.2011, the same formed a separate class and it cannot be clubbed together for the purpose of revising the benefits of the petitioners who were in their own right entitled and were already getting a regular pay-scale prior to 31.08.2013. The impugned Resolution dated 31.08.2013, therefore, cannot apply in the case of those who have been appointed prior to 31st August, 2013.

For all the aforesaid reasons, the impugned action and Resolution to the aforesaid effect converting the pay-scale of the petitioners cannot be sustained and is, hereby, quashed insofar as it relates to the petitioners.

We, accordingly, allow the writ petition and declare that the petitioners will continue to get the same salary that they were getting prior to the impugned resolution together with all arrears on that account that shall be released forthwith within a period of three months from today."

5. याचिका संख्या–985/2015 में दिनांक 27.03.2019 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध सिविल रिव्यु–295/2019 दायर है। सिविल रिव्यु 295/2019 में दिनांक 28.03.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध सिविल रिव्यु 295/2019 को पुनर्जीवित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में M.J.C. No.-2022/2023 The State of Bihar & Ors. Vs. Imran Alam & Ors.दायर किया गया है, जो सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

6. याचिका संख्या–2028/2025 में विभागीय संकल्प संख्या 970 दिनांक 31.08.2013 को चुनौती दी गई है। उक्त संकल्प में प्रावधानित है कि राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत (वित्त सहित) 1119 मदरसा एवं 09 बालिका मदरसा अर्थात कुल 1128 मदरसा एवं विभिन्न स्तर के 531 संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवानिवृत्ति के पश्चात हुए रिक्त पद सरकार द्वारा अनुदान के निमित्त नियत वेतन के पद में दिनांक 15.02.2011 से स्वतः Covert माने जायेंगे और दिनांक 15.02.2011 से अथवा बाद की सारी रिक्तियाँ के विरूद्ध

नियुक्त शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत वेतन की गणना के आधार पर अनुदान देय होगा।

7. अतः वर्णित स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में मदरसा सुबहानियाँ बोघन्डा बड़ियाडांगी, पो0 फतेहपुर वाया बारसोई घाट, जिला–कटिहार में दिनांक 15.02.2011 से दिनांक 31.08.2013 के बीच नियुक्त वादी को उक्त मदरसा में दिनांक 15.02.2011 के पूर्व नियुक्त समरूप शिक्षक की भांति नियमित वेतन अनुदान एवं तदनुसार अंतर वेतनादि भुगतान की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि सिविल रिव्यु संख्या–295/2019 में पारित आदेश से यह निर्णय प्रभावित होगा।

8. जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, कटिहार इस आदेश के अनुपालन के क्रम में शीघ्र अनुवर्ती कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/–

(सचिन्द्र कुमार),
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–10/मु०–13/2025...342...
पटना, दिनांक–03-2-26

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के निजी सहायक/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पूर्णिया प्रमण्डल/जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, कटिहार/कोषागार पदाधिकारी, कटिहार/Md. Shahajaha @ Md Shahjahan, Son of Abdus Samad, Resident of Village-Baghanda, P.O. Fatehpur, P.S.- Barsoi, District- Katihar/आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3.2.2026

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।